भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ

2071. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सु. वेंकटेशन:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) देश में गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो पंजीकृत गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार संबंधित श्रमिकों तक पहुंचने के लिए इस पंजीकरण का प्रचार किस प्रकार करेगी;

(ङ) उनके लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करने की स्थिति क्या है तथा उसे अंतिम रूप देने की समय-सीमा क्या है;

(च) क्या गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए नीति के मसौदा में जनता की राय ली जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) नीति रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल कार्मिको का ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ज): नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" नामक रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की संभावना है।

गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में परिभाषित किया गया है, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

जारी...2/-

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को स्वयं को और उनके साथ जुड़े प्लेटफॉर्म कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। इससे प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच प्राप्त करने में सुविधा होगी।

प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर, गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगार एसोसिएशन, ज्ञान भागीदार और उद्योग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति का गठन किया गया है, जो अन्य बातों के साथ - साथ, गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए रूपरेखा का सुझाव देगी।

***